

# कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक (राजस्थान)

क्रमांक :- 1042

दिनांक :- 19/9/24

## II संशोधित कार्यालय आदेश II


मैं कमल सोनी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 12 सपटित धारा 13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक 919 दिनांक 30.08.2024 में न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा के विकिर्त्सीय अवकाश पर होने के कारण संशोधन कर दिनांक 22.09.2024 के राजकीय अवकाश के लिए टोंक जिला मुख्यालय एवं उपखण्ड मुख्यालय पीपलू, निवाई, उनियारा, देवली, मालपुरा, टोडारायसिंह व तहसील मुख्यालय दूनी के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले आवश्यक आपराधिक प्रकृति के कार्यों (यथा रिमाण्ड, जमानत, मृत्यु कालीन कथन एवं अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य) से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई नीचे दी गई सारणी में वर्णित कॉलम संख्या 2 में अंकित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी, जिनका नाम कॉलम संख्या 3 में अंकित है, कॉलम संख्या 5 में अंकित दिनांक को रिमाण्ड इ्यूटी करने के लिए अधिकृत करता हूं। माह सितम्बर के लिए उक्त दिनांक के लिए पूर्ववर्ती आदेश यथावत् प्रभावी रहेगा।

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	पीठासीन अधिकारी का नाम	मोबाईल नम्बर	दिनांक
1	2	3	4	5
1.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा	धर्मेन्द्र कुमार शर्मा	8302657251	22.09.24

उक्त इ्यूटी चार्ट में अंकित न्यायिक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह रिमाण्ड इ्यूटी में कार्यालय समय पर अपने न्यायालय/कार्यालय में उपस्थित रहे। साथ ही अपने कार्यालय के एक लिपिक व च.श्रे.क. को भी रिमाण्ड इ्यूटी के दिन कार्यालय में उपस्थित रखे।

नोट :- उक्त राजपत्रित अवकाश के अतिरिक्त आगामी दिवस् को आकस्मिक अवकाश घोषित होने की स्थिति में उक्त न्यायिक अधिकारी ही न्यायालयों के अभिरक्षा/अभिवृद्धि (रिमाण्ड) व अन्य आवश्यक कार्य सम्पादित करेंगे। जब तक कि कोई पृथक आदेश प्रसारित नहीं किया जावे।

नोट :- कॉलम संख्या 3 में उल्लेखित अधिकारी कॉलम संख्या 5 में नियत इ्यूटी दिवस् पर सम्बन्धित मुख्यालय पर ही अपनी उपस्थिति सुनिश्चित रखें।


  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
टोंक (राजस्थान)

क्रमांक :- 1043-1050

दिनांक :- 19/9/24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, टोंक।
2. न्यायिक मजिस्ट्रेट उनियारा/मालपुरा।
3. पुलिस अधीक्षक महोदय, टोंक।
4. अधीक्षक जिला कारागृह, टोंक।
5. जिला आबकारी अधिकारी, टोंक।
6. सहायक समादेष्टा निरोधक दल, टोंक।
7. पुलिस कन्ट्रोल रूम, टोंक।
8. प्रतिलिपि सिस्टम ऑफिसर को जारी कर लेख है कि वे उक्त आदेश को जिला न्यायालय, टोंक की वेबसाइट पर अपलोड करें।

  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
टोंक (राजस्थान)